कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बेनीपुर
सकारण आदेश

पत्रांक– 544 दिनांक–24-05-23

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बेनीपुर दरभंगा के अधीन मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अंतर्गत एल033 से कर्णसागर भिंडा पथ के निर्माण कार्य हेतु संवेदक प्रेमशंकर प्रभाकर, ग्राम– टेंगराहा, थाना– मधुबनी, पिन–847408, निबंधन संख्या–4190067 के साथ एकरारनामा संख्या– 90 SBD 2020-21 दिनांक– 29.08.2020 को सम्पादित की गयी थी। एकरारनामा की राशि रू0 44,11,995.00 मात्र एवं कार्य समाप्ति की तिथि– 14.12.2021 थी। संवेदक द्वारा अभी तक पथ का कार्य आरंभ नहीं किया गया एवं पूर्ण रूप से बंद रखा गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा कई बार लिखित एवं मौखिक रूप से कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किये जाने के बाद भी मूल कार्य ससमय पूर्ण नहीं किया गया पुनः सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमंडल, घनश्यामपुर के पत्रांक–34, दिनांक–03.03.2023 द्वारा आपको कार्य प्रारंभ कर पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया फिर भी आपके द्वारा कार्य में कोई प्रगति नहीं लाई गई है ना ही स्थल पर Key Equipment Key Technical Persionnel उपस्थित पाये गये। पथ निर्माण नहीं होने से आम नागरिक को आवागमन में काफी दिक्कत हो रहा है।

वर्त्तमान में भी आपके द्वारा कार्य प्रारम्भ कर पूर्ण करने हेतु कोई अभिरूची नहीं ली जा रही है। अधोहस्ताक्षरी को पूर्णतः विश्वास है कि संवेदक कार्य को पूरा करने में अक्षम है, क्योंकि इनके पास स्थल पर Key Technical Persionnel एवं कोई Site Engineer भी नहीं पाये गये। इस प्रकार एकरारनामा एवं समर्पित कार्य योजना के अनुरूप कार्य नहीं करने मनमाने ढंग से लम्बी अवधि तक कार्य बंद रखने एवं विभागी उच्चाधिकारी के आदेश का अवहेलना करने लिए आप स्वयं दोषी है, साथ ही साथ कार्य पूर्ण करने में अक्षम है।

वर्णित स्थिति में एकरारनामा के प्रावधानों का उलंघन करने के लिए SBD के Clause of Contract की कंडिका–52.2 के सुसंगत प्रावधान(C) के तहत संवेदक प्रेम शंकर प्रभाकर, ग्राम– टेंगराहा, थाना– मधुबनी, पिन–847408, निबंधन संख्या–4190067 के साथ सम्पादित एकरारनामा संख्या– 90SBD 2020-21 दिनांक–29.08.2020 को विखंडित करते हुए आपके जमानत की राशि को जब्त किया जाता है। संवेदक को निदेश दिया जाता है कि दिनांक–30.05.2023 को अन्तिम मापी हेतु आप/आपके द्वारा प्रतिनिधि कार्य स्थल पर उपस्थिति होकर अपना अन्तिम मापी करवा ले अन्यथा आप अथवा आपके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि कार्य स्थल पर उपस्थित नहीं होते है, तो ऐसी परिस्थिति में विभागीय अभियंताओं द्वारा अन्तिम मापी ले ली जायेगी इस अन्तिम मापी पर आपका किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

ह0/–
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेनीपुर।

ज्ञापांक :– 544 दिनांक :–24-05-23

प्रतिलिपि :– संवेदक प्रेम शंकर प्रभाकर, ग्राम– टेंगराहा, थाना– मधुबनी, पिन–847408, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेपित। आपके द्वारा किये गये कार्य की अतिम मापी दिनांक–30.05.2023 निर्धारित किया जाता है।

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेनीपुर।